

# कार्यालय, नगर पालिका-परिषद, रामनगर, वाराणसी।

सं० 119 / 14वाँ वित्त-अवस्थापना/2017-18

दिनांक मई 15, 2017

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा 14वाँ वित्त आयोग/अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नांकित निम्न विवरणानुसार नगरपालिका परिषद रामनगर वाराणसी के वर्ष 2016-17 में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

- कार्य सं० 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 व 13 की निविदा दिनांक 23-05-2017 को पूर्वाह्न 10.30 से अपराह्न 2.00 बजे तक कार्यालय, जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, उपजिलाधिकारी सदर, तथा न०पा०परिषद, रामनगर, में रखे गये निविदा बाक्स में डाली जायेगी, जो उसी तिथि को अपराह्न 3.30 बजे अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय के समक्ष खोली जायेंगी। निविदाओं का विक्रय भी उपरोक्त 4 कार्यालयों पर दिनांक 22-05-2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक किया जायेगा।
- कार्य सं० 3, 4, 5, 6, 7 व 14 के कार्यों की निविदा दिनांक 23-05-2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक पालिका कार्यालय पर रखे गये टेन्डर बाक्स में डाली जायेंगी, जो उसी तिथि को अपराह्न 3.30 बजे अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्रों का विक्रय दिनांक 22-05-2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक पालिका कार्यालय पर किया जायेगा।

क्र०	कार्यों का विवरण	अनुमानित लागत	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने का समय
<b>14 वां वित्त</b>					
1	वार्ड नं० 3 रामपुर श्री रामबली से श्री शम्भू पान वाले तक सीवर लाईन कार्य।	5,24,000.00	10 प्रतिशत	800+5% वैट,	2 माह
2	वार्ड नं० 3 रामपुर श्री शिवम (बबलू चाट) के मकान से श्री अशोक सोनकर के मकान तक रिटेनिंग वाल, सीवर लाईन एवं इन्टरलाकिंग टाईल्स बिछाने का कार्य।	10,88,000.00	10 प्रतिशत	1300+5% वैट,	3 माह
3	वार्ड नं० 18 वारीगढ़ही दाउद भाई के मकान से पनारू खान से होते हुए यासमीन के मकान तक सीवर लाईन कार्य।	4,47,500.00	10 प्रतिशत	700+5% वैट,	2 माह
4	वार्ड नं० 6 गोलाघाट धोबिया नाला से सुरज मौर्या के मकान तक सीवर लाईन एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	4,60,500.00	10 प्रतिशत	700+5% वैट,	2 माह
5	वार्ड नं० 12 रत्तापुर श्री नारायण मौर्या से श्री मुंशी बिंद के मकान तक सीवर लाईन एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	4,35,000.00	10 प्रतिशत	700+5% वैट,	2 माह
6	वार्ड नं० 3 रामपुर विवेक स्कूल से श्री जगनारायण विश्वकर्मा से श्री झुनू मौर्या के मकान तक सीवर लाईन एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	2,44,000.00	10 प्रतिशत	500+5% वैट,	2 माह
7	वार्ड नं० 11 मछरहट्टा श्री लोकनाथ के मकान से श्री सनौवर के मकान तक सी०सी०टाईल्स बिछाने का कार्य।	3,87,000.00	10 प्रतिशत	600+5% वैट,	2 माह
8	वार्ड नं० 21 तपोवन पुरुषोत्तम पुलिया से पी०एन०कालेज के दीवार तक सी०सी० टाईल्स बिछाने का कार्य।	5,67,200.00	10 प्रतिशत	800+5% वैट,	2 माह
9	वार्ड नं० 6 गोलाघाट एन०एच० 7 (मजार) श्री सफीक के मकान से श्री युदनन्दन मास्टर के मकान तक सी०सी० टाईल्स बिछाने का कार्य।	5,90,000.00	10 प्रतिशत	800+5% वैट,	2 माह
10	वार्ड नं० 6 गोलाघाट एन०एच० 7 (मिर्जापुर रोड) से श्री रामदेव के मकान तक (बच्चा जेल रोड) सी०सी० टाईल्स बिछाने का कार्य।	10,13,800.00	10 प्रतिशत	1300+5% वैट,	3 माह
<b>अवस्थापना निधि</b>					
11	वार्ड नं० 3 रामपुर रत्तापुर में श्री अजय अरोरा के बाउण्ड्री से श्रीमती नीरज उपाध्याय के मकान एवं श्री विनोद कुमार शर्मा के मकान से श्री डा० अजय सिंह के मकान तक रिटेनिंग दीवाल, नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	19,06,500.00	10 प्रतिशत	2200+5% वैट,	3 माह
12	वार्ड नं० 3 रामपुर रत्तापुर में श्री प्रदीप मिश्रा, श्री डी०के०सिंह प्रिंसिपल, श्री खिचड़ू राम से श्रीमती प्रतिभा कुमारी एवं श्री सत्येन्द्र सिंह के मकान तक रिटेनिंग वाल नाली एवं इन्टरलाकिंग टाईल्स बिछाने का कार्य।	15,63,500.00	10 प्रतिशत	1800+5% वैट,	3 माह
13	वार्ड नं० 3 श्रीमती शान्ती देवी से सज्जन प्रसाद और शान्ती देवी से पंचवटी रोड तक इन्टरलाकिंग कार्य।	13,48,270.00	10 प्रतिशत	1600+5% वैट,	3 माह
14	वार्ड नं० 7 स्व० श्यामलाल यादव से एम्बीशन हास्टल के पास जानकी मन्दिर एन०एच० 7 तक इन्टरलाकिंग कार्य।	3,07,205.00	10 प्रतिशत	600+5% वैट,	2 माह

नियम एवं शर्त :-

- निविदा के साथ जमानत की धनराशि नगद अथवा एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० के रूप में अधिशासी अधिकारी, न०पा०परिषद, रामनगर, के नाम से प्लेज्ड जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र टी-4, हैसियत प्रमाण पत्र टी-5, व्यापार कर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड पत्र संलग्न करना होगा।
- निविदा के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप जिसे पालिका कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर स्व घोषणा पत्र (शपथ पत्र) टी-6 मूल रूप में संलग्न करना होगा। कार्य स्वीकृति के उपरान्त संबंधित ठीकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं कोई भी या समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
- जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार संबंधित ठीकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, तथा कार्य के मध्य में एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की फोटोग्राफी कराकर उसकी प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- अन्य आवश्यक जानकारी अवर अभियन्ता से सम्पर्क करके प्राप्त की जा सकती है।
- ठीकेदारों को कार्यों के अनुसार श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में कराना आवश्यक होगा।

बहू-बेटी बाहर ना जायें, घर-घर शौचालय अपनार्यें। हम सब का एक ही नारा साफ सुथरा हो नगर हमारा

(जी.लाल)  
अधिशासी अधिकारी।

(रिखा शर्मा)  
अध्यक्ष।

